

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

प्रशासनिक आदेश सं०- 344/2025 दिनांकित- नवम्बर 04, 2025

अध्यक्ष, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा पूर्व प्रेषित दिनांकित-26.07.2024, 20.05.2025 व 26.06.2025 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल वकालतनामों पर " बार एसोसिएशन " द्वारा जारी अधिवक्ता कल्याणकारी कूपन लगाया जाना अनिवार्य किया जाये।

उपरोक्त के सन्दर्भ में सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा जारी रुपये 100/- का कूपन प्रत्येक वकालतनामों पर चस्पा किये जाने के प्रस्ताव को तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, लखनऊ द्वारा अनुमोदित किये जाने के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित-17.08.2017 के माध्यम से माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में उपरोक्त के संबंध में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है, परन्तु न्यायालयों द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

तद्वै, समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल वकालतनामों पर "बार एसोसिएशन" द्वारा जारी अधिवक्ता कल्याणकारी कूपन चस्पा होना सुनिश्चित करते हुए ही वकालतनामों स्वीकार किये जायें।

नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को निर्देशित किया जाता है कि कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत संबंधित कर्मचारीगण को आदेशित करें कि नये संस्थित वादों की पत्रावलियों में संलग्न वकालतनामों में अधिवक्ता कल्याणकारी कूपन के चस्पा हुए बिना कम्प्यूटर पर दर्ज (Filing) न किया जाए।

इस प्रशासनिक आदेश की एक-एक प्रति सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ व लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

इस प्रशासनिक आदेश की एक-एक प्रति समस्त न्यायालय में प्रेषित की जाए तथा नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाए। साथ ही जनपद न्यायालय, लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए।

सभी संबंधित सूचित हों।

